भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1105

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

**राष्ट्रीय जनजातीय नीति के निरुपण की स्थिति**

1105. श्री देरेक ओब्राईनः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय जनजातीय नीति के निरुपण की क्या स्थिति है;

(ख) क्या विभिन्न हितधारकों के विचार प्राप्त किए गए हैं और उनको शामिल किए जाने की क्या स्थिति है; और

(ग) इस नीति को तैयार किए जाने की समय-सीमा और इसके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या

है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

 (क) तथा (ख) : एक उच्च स्तरीय समिति अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक स्थिति पत्र तैयार करने तथा आगे का मार्ग के लिए दिनांक 14.08.2013 को गठित की गई थी। चूंकि इसका नीति निरुपण पर प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रीय जनजातीय नीति को उसके उपरांत ही अंतिम रुप दिया जा सकता है।

 विभिन्न हितधारियों जैसे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों, शिक्षाविदों, मानव विज्ञान शास्त्रियों, स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, विशेषज्ञों आदि के बीच उनके सुझावों/टिप्पणियों के लिए मसौदा नीति को परिचालित किया गया था। इनसे प्राप्त टिप्पणियों का मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति द्वारा परीक्षण किया गया तथा मसौदा नीति में उन्हें शामिल किया गया।

(ग) : राष्ट्रीय जनजातीय नीति का मसौदा तैयार होने के समय से, योजनाओं, प्रक्रियाओं तथा दिशानिर्देशों आदि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, विकास तथा परिवर्तन हुए हैं जैसे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (एलएआरआर), 2013 तथा समय-समय पर जारी कार्यात्मक दिशानिर्देश जिन्होंने, बड़ी सीमा तक, मसौदा नीति में रेखांकित मुद्दों को शामिल किया। इसे देखते हुए, मसौदे को अंतिम रुप नहीं दिया गया है। इस चरण पर कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

\*\*\*\*